

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
गाजियाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

जीनियस एकेडमी जू0हा0स्कूल

अकबरपुर बहरामपुर गाजियाबाद ।

पत्रांक-मान्यता / 5498-99 / 2017-18 /

दिनांक 26/8/

2017

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 24-08-2017 के संदर्भ में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 1379-80/2013-14/ दिनांक 29-06-2013 के द्वारा विद्यालय को मान्यता दी गयी थी। शासनादेश सं0 419-79-6/2013-18(20)91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ के बिन्दु सं0- 15 पर प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के दृष्टिगत औपबन्धक मान्यता 03 वर्ष के लिये दी गयी थी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित विद्यालय के प्रति कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में नहीं आया है तो 03 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त विद्यालय की स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गाजियाबाद

पृष्ठांकन सं0

/ 2017-18

तद्दिनांक

प्रतिलिपि- खण्ड शिक्षा अधिकारी नगरक्षेत्र गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गाजियाबाद